न्यायालय श्रीमान राजस्व मण्डल ग्वालियर § मध्य प्रदेश §

निग० 3287-I/16

रामा पुत्री दलपत यादव

निवासी पलेरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ §म०प्र०§ - निगरानीकर्ता/आवेदिका

॥ विरूद्ध ॥

1§ भुमानी बाई पुत्री वल्दू अहिरवार पत्नि सीताराम अहिरवार

2§ काशीबाई पुत्री वल्दू अहिरवार पत्नि सुरेश अहिरवार

3§ भगवानदास तनय वल्दू अहिरवार

तीनों निवासी पलेरा तहसील पलेरा जिला टीकमगढ़ §म०प्र०§

4§ रामदयाल तनय वल्दू अहिरवार निवासी लेरा तह० पलेरा जि० टीकमगढ़ हाल निवासी कान्स्टिबिल केन्द्रीय औद्योग सुरक्षा बल सेन्ट्रल सिकोरिटी फोर्स जिला गुना §म०प्र०§ - - उत्तरवादीगण

निगरानी/आवेदन पत्र अन्तर्गत धारा -50 म०प्र० भू० राजस्व संहिता :-

यह निगरानी निगरानीकर्ता/आवेदिका ने अधीनस्थ न्यायालय अनुविभागीय अधिकारी जतारा जिला टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक-76/अपील/2015-2016 के आदेश दिनांक 06/09/2016 से दुखित होकर श्रीमान जी के समक्ष प्रस्तुत की है ।

-: निगरानी का विवरण :-

1§ यह कि, मृतक वल्दू तनय हरप्रसाद उर्फ हरदास उर्फ हरलाल निवासी पलेरा ने अपने स्वामित्व एवं मालकियत हक की भूमि स्थित पलेरा शासकीय खसरा नंबर 878/1 रकवा 0.246 एवं 12/8/1985 को निगरानीकर्ता के पक्ष में लेख किया था व मृतक वसीयतकर्ता की मृत्यु दिनांक 18/09/96 को हो गयी थी उक्त वसीयत की जानकारी उत्तरवादीगणों को थी । तभी से वर्तमान तक उपरोक्त खसरा नंबर क्रमशः 878/1 रकवा 0.246 है. एवं ख० नं० 880/1 क रकवा 0.498 है. स्थित पट्टेदार भूमि पर काबिज है । उत्तरवादीगणों द्वारा कभी भी उक्त जमीन पर अपना हक नहीं जताया ।

2§ यह कि, वसीयतकर्ता वल्दू तनय हरदास उर्फ हरप्रसाद उर्फ हरलाल की मृत्यु के बादवसीयत दिनांक 12/08/1985 के आधार पर न्यायालय

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर

अनुवृत्ति आदेश पृष्ठ 2

प्रकरण क्रमांक- निग.- 3287-एक/2016

जिला-टीकमगढ़

रामा विरूद्ध भुमानी बाई आदि

स्थान तथा दिनांक	कार्यवाही तथा आदेश	पक्षकारों एवं अभिभाषकों आदि के हस्ताक्षर
28 -01-2019	1. प्रकरण प्रस्तुत । 2. आवेदक की ओर से अभिभाषक श्रीमती रजनी वशिष्ठ शर्मा उपस्थित । 3. प्रस्तुत निगरानी अनुविभागीय अधिकारी जतारा, जिला-टीकमगढ़ के प्रकरण क्रमांक 76/अपील/2015-16 में पारित आदेश दिनांक 06-09-2016 के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता 1959 की धारा 50 के अधीन दिनांक 23-09-2016 को पुनरीक्षण याचिका प्रस्तुत की गई थी। 4. म.प्र. भू-राजस्व संहिता संशोधन अधिनियम 2018 का क्रियान्वयन राज्य सरकार की अधिसूचना क्रमांक एफ 2-9/2018/सात/शा.6 भोपाल दिनांक 16-08-2018 के अनुक्रम में दिनांक 25-09-2018 से लागू हो गया है । उक्त अधिसूचना की धारा 54 के अनुसार – ''1. संशोधन अधिनियम 2018 के प्रवत्त होने के ठीक पूर्व पुनरीक्षण में लंबित कार्यवाहियां यथा संशोधित अधिनियम 2018 की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अधीन उन्हें सुने जाने तथा विनिश्चित किये जाने के लिये सक्षम राजस्व अधिकारी द्वारा सुनी जायेगी तथा विनिश्चित की जायेगी और यदि इस प्रयोजन के लिये अपेक्षित हो तो ऐसे राजस्व अधिकारी को अंतरित की जायेगी।'' 5. अनुविभागीय अधिकारी के द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध म.प्र. भू-राजस्व संहिता की धारा 50(1)(ग) एवं 54(क) के अंतर्गत पुनरीक्षण हेतु सक्षम राजस्व अधिकारी संबंधित संभागीय कलेक्टर है । अतः उक्त संशोधन के फलस्वरूप इस	

28/01/19

न्यायालय में प्रस्तुत पुनरीक्षण आवेदन पर कलेक्टर के द्वारा ही पुनरीक्षण याचिका का निराकरण किया जाना होगा ।

6. अतः उक्त नवीन संशोधन के अनुक्रम में पुनरीक्षण याचिका के निराकरण हेतु प्रकरण कलेक्टर शहडोल, को अंतरित किया जाता है । आवेदक दिनांक 25-03-2019 को इस आदेश की सत्यापित प्रतिलिपि लेकर कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में प्रस्तुत हो ।

7. उक्त कार्यालय का दायित्व होगा कि उक्त दिनांक से पूर्व संबंधित अभिलेख कलेक्टर शहडोल के न्यायालय में भेजा जाये ।

8. उभय पक्ष अभिभाषक को नोट कराया जाये ।

(आर.के. जैन) 28/01/19
सदस्य